(वाद सं0–5776/4/26/2020)

31.03.2022

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, संतोष कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक, निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को जुलाई 2020 व अगस्त 2020 (दो माह) का वेतन भुगतान न किये जाने से संबंधित है।

उपरोक्त पर प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना से प्रतिवेदन की माँग की गई। संयुक्त निबंधक, सहयोग समिति, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया है कि परिवादी को उपरोक्त दोनो माह के वेतन का दिनांक–16.10.2020 को ही भुगतान किया जा चुका है। उक्त भुगतान में दिनांक– 01.07.2020 एवं 02.07.2020 के दो दिनों के निलंबन अवधि के जीवन निर्वाह भत्ता एवं दिनांक–03.07.2020 से 06.07.2020 के निलंबन मुक्त अवधि के भुगतान संबंधी इनके दावा का भुगतान नहीं हुआ है।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की माँग की गई। अपने प्रत्युत्तर में परिवादी द्वारा निलंबन अवधि के जीवन निर्वाह भत्ता एवं निलंबन मुक्त अवधि के वेतन भुगतान करवाने का राज्य आयोग से अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त पर पुनः संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी को दिनांक–01.07.2020 और दिनांक–02.07.2020 (दो दिन) के निलंबन अवधि व दिनांक–03.07.2020 से दिनांक–06.07.2020 तक के कर्त्तव्य वेतन का भी भुगतान किया जा चुका है।

अब जबकि परिवादी के समस्त दावों का समुचित प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान किया जा चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

कार्यालय आज पारित आदेश की प्रति के साथ निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के प्रतिवेदन (पृष्ठ 68–64/प0) की प्रति संलग्न कर **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>